



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102020-222552
CG-DL-E-19102020-222552

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439]
No. 439]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 19, 2020/आश्विन 27, 1942
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2020/ASVINA 27, 1942

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2020

सं. एएआई/पर्स/ईडीपीए/रेग./2002.—भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 42 की उपधारा (2) और (4) के खण्ड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (विमानपत्तनों का प्रबंध) विनियम, 2003 में संशोधन कर, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (विमानपत्तनों का प्रबंध) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 है।
(2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (विमानपत्तनों का प्रबंध) विनियम, 2003 के विनियम 25 में निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“25. **जुर्माना** - इन विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 42 की उपधारा 3 के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा”।

अरविंद सिंह, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./300/2020-21]

टिप्पणी : मुख्य विनियम दिनांक 30 जून, 2003 की अधिसूचना के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित किये गए। तत्पश्चात् दिनांक 26 जुलाई, 2017 को फाइल संख्या एएआई/पर्स/ईडीपीए/

रेग./2002 द्वारा संशोधित किये गए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में दिनांक 26 जुलाई, 2017 को प्रकाशित किये गए।

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2020

No. AAI/PERS/EDPA/Reg./2002.—In exercise of the powers conferred by clause (o) of sub-sections (2) and (4) of section 42 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994), Airports Authority of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the Airports Authority of India(Management of Airports) Regulations, 2003, namely :-

1. **Short title and commencement.** — (1) These regulations may be called the Airports Authority of India (Management of Airports) Second Amendment Regulations, 2020.
(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Airports Authority of India (Management of Airports) Regulations, 2003, for regulation 25, the following regulation shall be substituted, namely:-
“25. **Penalties** — Any person contravening the provisions of these regulations shall be punishable with fine in accordance with the provisions of sub-section 3 of section 42 of the Act.”

ARVIND SINGH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./300/2020-21]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification dated the 30th June, 2003 and subsequently amended vide F. No. AAI/PERS/EDPA/Reg./2002, dated the 26th July, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 26th July, 2017.